मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2013-14

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2014

अनुक्रमनिका

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय संरचना, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियॉ एवं विद्युत निरीक्षक कार्यालय	1–2
2	विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा भविष्य का अनुमान	3
3	राजस्व प्रबंधन – 3.1 राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति 3.2 राजस्व प्राप्ति	3–4
4	ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनायें – 4.1 किसान समृद्धि योजना 4.2 स्थायी कृषि पम्प फ्लेट रेट योजना 4.3 दीनबंधु योजना 4.4 कृषकों को नवीन स्थायी पम्प कनेक्शन देने की अनुदान योजना 4.5 फीडर विभक्तिकरण योजना 4.6 अटल ज्योति अभियान 4.7 एस.एम.एस. आधारित असफल ट्रांसफार्मर बदलने की योजना 4.8 स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (OYT) 4.9 रबी 2013 के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना 4.10 वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किये गये अन्य कार्य– 4.10.1 प्रणाली सुदृढ़ीकरण 4.10.2 आर.ए.पी.डी.आर.पी. 4.10.3 ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित परियोजना 4.10.4 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य	4–11
5	म.प्र.पावर जनरेटिंग कम्पनी की इकाईयों से विद्युत उत्पादन	12
6	सयंत्र उपयोगिता घटक	12
7	राज्य की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं – 7.1) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी 2X250 मेगावाट विस्तार इकाई कमांक 10 एवं 11 सारणी, जिला बैतूल 7.2) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी (1X 660 मेगावाट विस्तार इकाई) 7.3) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2x600 मेगावाट) प्रथम चरण ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा	12–21

अनुक्रमनिका

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	7.4) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2x660मेगावाट) द्वितीय चरण इकाई कमांक 3 एवं 4, ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा 7.5) 2 X 800 मेगावाट दादा धूनीवाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट गोराड़िया, जिला–खण्डवा	
8	**जल आधारित विद्युत परियोजनाएं**	21
9	**राज्य मे पारेषण संबंधी कार्य** 9.1) अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द, 9.2) पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ 9.3) भविष्य की पारेषण विस्तार योजना हेतु कार्यक्रम (बारहवीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2012–17) 9.4) कम्पनी में प्रणाली के समग्र उन्नयन के लिए नवीन तकनीकी ग्राह्यता 9.5) अंगीकृत प्रौद्योगिकी 9.6) वर्तमान और भविष्य का परिदृश्य 9.7) राज्य भार पारेक्षण केन्द्र 9.8) हरित पहल (ग्रीन इनिशियेटीव) – ऊर्जा आपूर्ति के नए साधन	21–26
10	**ऊर्जा के क्षेत्र में प्रबन्धन** 10.1) विद्युत उत्पादन में क्षमतावृद्धि 10.2) निजी उत्पादकों से किए गए दीर्घावधि विद्युत कय अनुबंध 10.3) विद्युत कय हेतु नवीन एवं नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं से किये गये कय अनुबंध की जानकारी	26–27
11	**मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप** 11.1) विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी 11.2) विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी) 11.3) विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण 11.4) अनुज्ञापन मण्डल 11.5) तारमिस्त्री परीक्षा केन्द्र 11.6) पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र 11.7) विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर	27–29
12	**प्रमुख विद्युत समंक – प्रपत्र 1 से 7**	30–43

प्रस्तावना

राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं–परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के साथ–साथ पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे अटल ज्योति अभियान अन्तर्गत सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को प्रदेश में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य के कृषकों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले उपभोक्ताओं आदि को प्रदेश की प्रगति की भागीदारी में शामिल करने के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अपेक्षा के अनुरूप शासन स्तर पर कृषक हित में किसान समृद्धि योजना, स्थायी कृषि पम्प फ्लेट रेट योजना, कृषकों को नवीन स्थाई पम्प कनेक्शन देने की अनुदान योजना सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए दीनबंधु योजना लागू की गई।

ऊर्जा विभाग के इस प्रतिवेदन में लोकहित की योजनाओं के साथ–साथ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(राजेन्द्र शुक्ल)

(राजेन्द्र शुक्ल)
ऊर्जा मंत्री

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2013–2014
ऊर्जा विभाग
विभाग की संरचना एवं कियाकलाप

ऊर्जा विभाग की वर्तमान संरचना :

प्रभारी मंत्री	श्री राजेन्द्र शुक्ल
सचिवालय –	
प्रमुख सचिव	श्री मोहम्मद सुलेमान
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	श्री मुकुल धारीवाल
उप सचिव	श्री एस.के. शर्मा श्री राजेश चौरसिया श्री नीरज अग्रवाल श्री व्ही.के.गौड़
अवर सचिव	श्री के.सी. दुबे
विभागाध्यक्ष : मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	श्री एस.एस. मुजाल्दे

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियॉं एवं विद्युत निरीक्षक कार्यालय

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित विद्युत उत्पादन, पारेषण, पावर मैनेजमेंट एवं तीन विद्युत वितरण कंपनियॉं राज्य में कमशः विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, ट्रेडिंग एवं वितरण का कार्य कर रही है। ऊर्जा विभाग के अधीन विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षकालय कार्यरत है। ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियॉं एवं विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

क.	कंपनी	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत उत्पादन	राज्य की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों से उत्पादन
2	एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर	तीनो वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कंपनी के रूप में कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत मांग की पूर्ति तथा विद्युत क्षेत्र की योजना तैयार करना	प्रदेश में विद्युत की मांग के अनुसार पूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं आवश्यकता –नुसार विद्युत का कय/ विकय करना। यह कंपनी तीनों वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है तथा विद्युत क्षेत्र की प्लानिंग का कार्य भी करती है।

क्र.	कंपनी	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
3	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर,	विद्युत पारेषण	पारेषण प्रणाली का संचालन एवं रख रखाव तथा आवश्यकता के अनुरूप नई पारेषण लाईनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण।
4	म.प्र. पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल	विद्युत वितरण	विद्युत उपकेन्द्रों, लाईनों का निर्माण तथा संधारण। विद्युत संयोजनों का प्रदाय तथा विद्युत वितरण का कार्य।
5	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय	विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षण	घरेलू एवं औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के विद्युत प्रदाय के कार्यों का निरीक्षण, विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत शुल्क एवं उपकर की चोरी की रोकथाम, निजी विद्युत उत्पादकों को अनुमति आदि।

विद्युत कम्पनियों की कार्पोरेट संरचना :

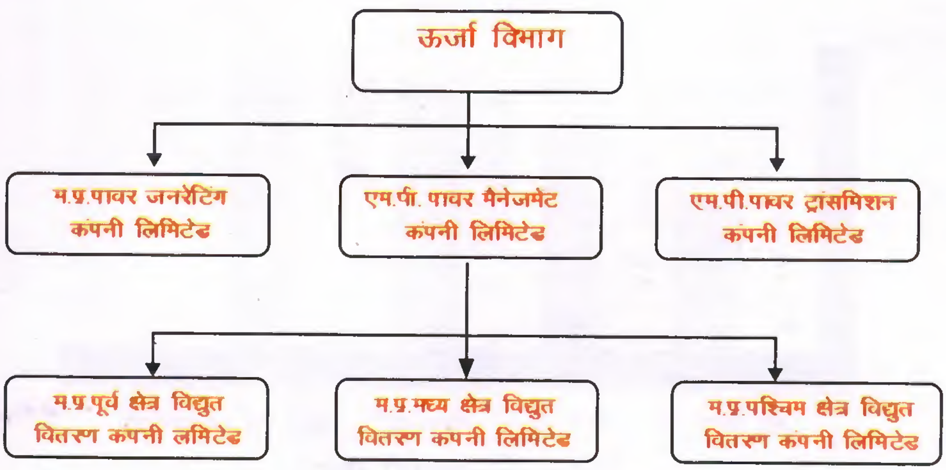

विद्युत वितरण के क्षेत्र में कार्य कर रही तीनों वितरण कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार संभाग आते हैं:–

1. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र– जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभाग।
2. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र – भोपाल, होशंगाबाद तथा ग्वालियर एवं चंबल संभाग।
3. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र –इंदौर एवं उज्जैन संभाग।

सभी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध संचालक हैं तथा अकार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई हैं। जनरेटिंग, ट्रांसमिशन तथा मैनेजमेंट कंपनी कें अध्यक्ष प्रमुख सचिव, ऊर्जा है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को अकार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन एक विधि सम्मत विनियामक संस्था **"मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग"** की स्थापना की गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह एक विधि शक्तियों से सम्पन्न संस्था है।

2–विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा भविष्य का अनुमान : राज्य में विद्युत की आवश्यकता के दीर्घकालीन अनुमान लगाते हुए उसके अनुरूप विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी का प्रमुख उत्तरदायित्व है। गत वर्षों में विद्युत प्रदाय की स्थिति तथा भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दी हुई तालिका में दर्शायेनुसार हैं:–

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा की आपूर्ति/प्रस्तावित (मि.यू.)	प्रतिशत वृद्धि
वर्ष 2010–11	38799	9.1%
वर्ष 2011–12	42945	10.6%
वर्ष 2012–13	47858	11.4%
वर्ष 2013–14 (अनुमानित)	56002	17.0%

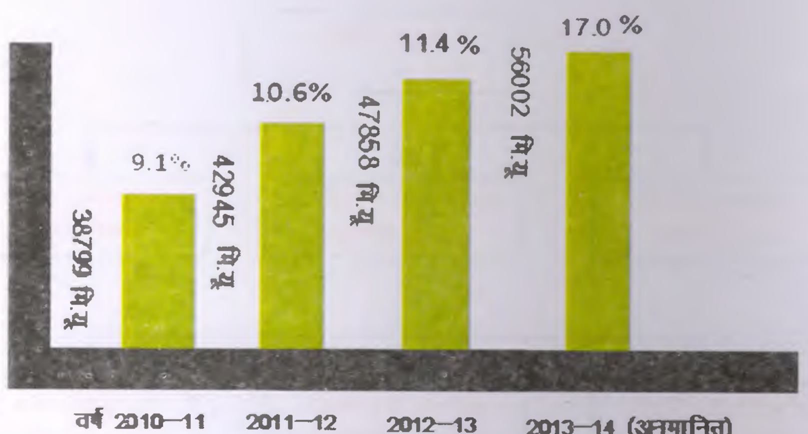

विन्ुत की आपूर्ति (मि.यू.)

3–राजस्व प्रबंधन :

3.1 : **राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति** : वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय के कारण प्रदेश में वितरण कंपनियों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिवर्ष सतत् रूप से वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2010--11, 2011–12 एवं 2012–13 में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की वर्षवार श्रेणीवार संख्या विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है –

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या		
		2010–11	2011–12	2012–13
1	घरेलू	6909517	7353305	7748857
2	गैर घरेलू	703440	734350	758980
3	सड़क प्रकाश	14184	14572	14855
4	पब्लिक वाटर वर्क्स	25134	27509	29433
5	सिंचाई	1320817	1397008	1489449
6	निम्न दाब उद्योग	98214	101574	104077
7	उच्चदाब उद्योग	2403	2667	2942
8	रेलवे	33	34	36
9	गैर औद्योगिक एवं अनुज्ञप्तिधारी	1414	1555	1687
	योग	9075156	9632574	10150316

3.2 राजस्व प्राप्तिः विद्युत कंपनियों के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए मैदानी स्तर पर वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व वसूली के साथ–साथ समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम वर्तमान में परिलक्षित होने प्रारंभ हो गये है। वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2012–13 में अद्यतन स्थिति में वर्षवार, कंपनीवार राजस्व प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है –

राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	कुल
2010–2011	3040	2927	4019	9986
2011–2012	3837	3441	4975	12253
2012–2013	4580	4473	6230	15283

विधानसभा द्वारा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में प्रतिवर्ष 03 प्रतिशत की दर से कमी लाने के लिये सर्व–सम्मति से पारित संकल्प के अनुसरण में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अथक प्रयासों किये गये, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012–13 में विगत तीन वर्षो की तुलना में हानियों में लगभग 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

4–ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं :

4.1 किसान समृद्धि योजना : कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों की बकाया राशि के निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा कृषक समृद्धि योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2013 की स्थिति में कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि में से सरचार्ज की राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गई तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत किसान द्वारा जमा करने पर समान राशि राज्य

शासन द्वारा वितरण कंपनियों को दी जानी है। इस योजना में कृषकों को अधिकतम, 10, छः माही किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

4.2 स्थाई कृषि पंप फ्लेट रेट योजना : स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लेट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में 2 बार (छः माही आधार पर) समान किश्तों में 1200 रूपये प्रति हार्सपावर वार्षिक बिल देने का प्रावधान किया गया है।

4.3 दीनबंधु योजना : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को दिनांक 30 जून, 2013 की स्थिति में बकाया विद्युत बिलों के निपटारे हेतु वितरण कंपनियों द्वारा दीनबंधु योजना लागू की गई है। इस योजना अन्तर्गत बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गई तथा मूल बकाया राशि का आधा संबंधित वितरण कंपनी द्वारा तथा शेष आधी राशि राज्य शासन द्वारा वहन की गई है।

4.4 कृषकों को नवीन स्थाई पंप कनेक्शन देने की अनुदान योजना : कृषकों को नवीन स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने की राज्य शासन द्वारा अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) को रू. 6000 तथा अन्य कृषकों के लिए रू. 9600 प्रति हार्स पावर की दर से राशि जमा करनी होती है। इस योजना में प्रत्येक कृषक के प्राक्कलन स्वीकृत की लागत के रू. 1.5 लाख की राशि निर्धारित की गई है तथा प्राक्कलन लागत एवं कृषक द्वारा प्रति हार्सपावर भुगतान की गई राशि के अंतर का भुगतान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में किया जा रहा है। दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से इस योजना के लागू होने के उपरांत 30 नवम्बर, 2013 तक 51553 कृषकों को स्थाई पंप कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

4.5 फीडर विभक्तिकरण योजना : म.प्र.शासन द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को पृथक–पृथक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु फीडर विभक्तिकरण योजना लागू की गई है। योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राशि रू. 1722 करोड़ तथा एशियन विकास बैंक से 1944 करोड़ ऋण स्वीकृत है तथा शासन द्वारा रू. 485 करोड़ ब्याज मुक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। योजना का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है।

फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत किये गये कार्यो के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार तथा वोल्टेज में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है। राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में 31 दिसम्बर, 2013 तक 5379 फीडरों का विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे लगभग 31409 ग्रामों के उपभोक्ता लाभांवित हुए है।

4.6 अटल ज्योति अभियान –अटल ज्योति अभियान के अन्तर्गत माह जनवरी, 2013 से जुलाई, 2013 की अवधि में राज्य के समस्त जिलों में 24 घंटे विद्युत प्रदाय करना प्रारम्भ कर दिया गया है। जिलों में 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया गया है, के सम्बन्ध में जिलेवार/माहवार/तिथिवार जानकारी निम्नानुसार है–

कमांक	माह	दिनांक	जिला जहाँ 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किया गया
1	जनवरी,2013	20.01.2013	1.जबलपुर
2	फरवरी,2013	17.02.2013	1.मण्डला

कमांक	माह	दिनांक	जिला जहाँ 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किया गया
3	मार्च,2013	09.03.2013	1.शहडोल
4		09.03.2013	2.उमरिया
5		09.03.2013	3.अनूपपुर
6		16.03.2013	4.बुरहानपुर
7	अप्रैल,2013	02.04.2013	1.भोपाल
8		07.04.2013	2.रतलाम
9		12.04.2013	3.धार
10		20.04.2013	4.बालाघाट
11		20.04.2013	5.अलिराजपुर
12		21.04.2013	6.श्योपुरकलां
13	अप्रैल,2013	25.04.2013	7.पन्ना
14		26.04.2013	8.मंदसौर
15		27.04.2013	9.रीवा
16	मई,2013	08.05.2013	1.होशंगाबाद
17		11.05.2013	2.राजगढ़
18		11.05.2013	3.उज्जैन
19		15.05.2013	4.शिवपुरी
20		16.05.2013	5.खण्डवा
21		16.05.2013	6.हरदा
22		17.05.2013	7.बैतूल
23		23.05.2013	8.खरगौन
24		25.05.2013	9.सिंगरौली (बैढ़न)
25		25.05.2013	10.नीमच
26		29.05.2013	11.शाजापुर
27	जून, 2013	02.06.2013	1.टीकमगढ़
28		03.06.2013	2.सतना
29		04.06.2013	3.छतरपुर
30		04.06.2013	4.रायसेन
31		04.06.2013	5.विदिशा
32		11.06.2013	6.सीहोर
33		12.06.2013	7.गुना
34		13.06.2013	8.भिंड
35		16.06.2013	9.ग्वालियर
36		20.06.2013	10.दतिया
37		20.06.2013	11.अशोकनगर
38		21.06.2013	12.बडवानी

क्रमांक	माह	दिनांक	जिला जहाँ 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किया गया
39	जून, 2013	22.06.2013	13.छिंदवाडा
40		22.06.2013	14.सिवनी
41		23.06.2013	15.दमोह
42		23.06.2013	16.नरसिंहपुर
43		24.06.2013	17.डिंडोरी
44		27.06.2013	18.मुरैना
45		28.06.2013	19.देवास
46		28.06.2013	20.झाबुआ
47	जुलाई, 2013	02.07.2013	1.कटनी
48		02.07.2013	2.सीधी
49		03.07.2013	3.सागर
50		03.07.2013	4.इन्दौर

4.7 एस.एम.एस आधारित असफल ट्रांसफार्मर बदलने की योजना : रबी सीजन में असफल ट्रांसफार्मरों को वरीयता क्रम/निर्धारित अवधि में बदलने हेतु एक योजना **"एस.एम.एस आधारित असफल ट्रांसफार्मर बदलना"** गत वर्ष लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक ट्रांसफार्मर को यूनिक आईडी आवंटित किया गया है, जिसको डी.पी. पर पेंट से लिखा गया है। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में कृषक/विद्युत उपभोक्ता निर्धारित दूरभाष पर उस ट्रांसफार्मर का यूनिक आईडी कोड दर्शाते हुए एसएमएस भेज सकता है। उक्त एसएमएस प्राप्त होने पर सर्वर के माध्यम से यह सूचना संबंधित अधिकारी तथा शिकायतकर्ता उपभोक्ता को भी अग्रिम रूप से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार संबंधित अधिकारी जांच कर ट्रांसफार्मर बदलने हेतु अयोग्य अथवा योग्य पाये जाने की जानकारी सर्वर को प्रेषित करता है, जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर बदलने की वरीयता सूची स्वतः जनरेट होती है तथा जिसे कंपनी की वेबसाईट पर देखा जा सकता है। ट्रांसफार्मर बदलने के उपरांत इसकी सूचना स्वतः उपभोक्ता को एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इस योजना के लागू होने से खराब ट्रांसफार्मर बदलने में विलम्ब की शिकायतों में काफी कमी आई है।

4.8 स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) : म.प्र. शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 4 मई, 2011 से कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर " लगाये जाने की योजना लागू की गई है। इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा लगाये गये ट्रांसफार्मर से किसी अन्य कृषकों को कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। योजना अंतर्गत नये किसान तथा ऐसे किसान, जिनका पूर्व में ही कनेक्शन विद्यमान है, वे भी अपने पंप कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं।

4.9 रबी 2013 के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना : वर्ष 2012–13 में ट्रांसफार्मर फेल होने की दर में कमी लाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि अस्थायी कनेक्शनों के भार को ध्यान में रखते हुए वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता का निर्धारण किया जाकर आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमतावृध्दि अथवा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाए। वर्ष 2013–14 में माह नवम्बर ,2013 तक 2530 ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावृध्दि की जाकर 104118 केव्हीए

अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई तथा 19954 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर 1051329 केव्हीए अतिरिक्त क्षमतावृध्दि की गई। विद्युत वितरण कंपनीवार विवरण निम्नानुसार है –

विद्युत वितरण कंपनी	क्षमता वृद्धि किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या (वर्ष 13–14)	कुल क्षमता वृद्धि (केव्ही.ए)	अतिरिक्त स्थापित ट्रांसफार्मर (संख्या)	अतिरिक्त स्थापित ट्रांसफार्मर क्षमता (केव्ही.ए)	कुल क्षमता वृद्धि (केव्ही.ए)
पूर्व क्षेत्र	957	45920	8166	285000	330920
पश्चिम क्षेत्र	1104	40848	1063	90649	131497
मध्य क्षेत्र	469	17350	10725	675680	693030
कुल –	2530	104118	19954	1051329	1155447

4.10 वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किये गये अन्य कार्य : ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की तीनो वितरण कम्पनियों द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना, नवीन पंप कनेक्शन अनुदान योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतिरिक्त उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन, प्रणाली सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, ए.डी. बी. योजना एवं आर.–ए.पी.डी.आर.पी. इत्यादि के अन्तर्गत विद्युतीकरण अधोसंरचना के विकास के कार्य किये गये हैं।

4.10.1–प्रणाली सुदृढीकरण : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रणाली सुदृढीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह नवम्बर, 2013 के अंत तक किये गये कार्यो का कम्पनीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाये अनुसार है। इन कार्यों से विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी –

क.	कार्य का विवरण	विद्युत वितरण कम्पनी (30 नवम्बर, 2013 तक)			कुल
		म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
1	2	3	4	5	6
1	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र	12	57	24	93
2	33 के.व्ही. लाईन	462.11	740	235.8	1437.91
3	11 के.व्ही. लाईन	5482.92	6638	8244	20364.92
4	निम्न दाब लाईन का केबल में परिवर्तन	1285.4	680	1346	3511.4

क्र.	कार्य का विवरण	विद्युत वितरण कम्पनी (30 नवम्बर, 2013 तक)			कुल
		म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
1	2	3	4	5	6
5	निम्न दाब लाईन का एच.टी.लाईन में परिवर्तन	141.41	901	60	1102.41
6	वितरण ट्रांसफार्मर	8166	10726	11865	30757
7	11 के.व्ही. लाईन	5482.92	6638	8244	20364.92

4.10.2 आर–ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा ऐसे शहर, जिनकी आबादी 30000 या उससे अधिक है, में प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का स्तर 15 प्रतिशत अथवा उससे कम करने हेतु आर–ए.पी.डी. आर.पी. योजना लागू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 83 शहरों का चयन किया गया है। इस योजना को दो भागों में लागू किया गया है। प्रथम चरण में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इनर्जी एकाउंटिंग, कन्ज्यूमर इन्डेक्सिंग एवं जी.आई.एस. मेपिंग इत्यादि के कार्य किये जा रहे है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिये इसकी कुल लागत रू. 275.63 करोड़ है। इस हेतु जबलपुर में डाटा सेंटर एवं भोपाल में डाटा रिकवरी सेंटर का कार्य पूर्ण हो गया है। इस योजना के द्वितीय चरण में राज्य के चयनित 81 शहरों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जा रहे हैं।

इसी योजना में बड़े शहरों के विद्युत आपूर्ति के बेहतर नियंत्रण हेतु स्काडा (सुपरवाइज़री कंट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन) को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं जबलपुर में लगाया जा रहा है। इस हेतु जबलपुर में डाटा सेंटर एवं भोपाल में डाटा रिकवरी सेन्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है। चयनित तीनों शहरों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र प्रारम्भ हो गए है। जी.आई.एस. आधारित असैट मेपिंग एवं उपभोक्ता सूचकांक के कार्य सभी 83 नगरों में पूर्ण हो गए है। स्काडा सिस्टम के अंतर्गत भोपाल में एक पायलेट सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। इन्दौर में एक पायलेट सब स्टेशन एवं 4 सब स्टेशन के कार्य पूर्ण हो चुके है, जबकि जबलपुर में एक सबस्टेशन का कार्य पूर्ण हो गया है।

द्वितीय चरण की कुल लागत रू. 1961.70 करोड़ है, जिसमें से वितरण कम्पनियों को 25 प्रतिशत ऋण भारत सरकार द्वारा पी.एफ.सी. के माध्यम से तथा शेष 75 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत चयनित शहरों में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का स्तर 15 प्रतिशत या उससे कम होने पर प्रत्येक शहर हेतु स्वीकृत योजना में लिये गये ऋण की राशि का 50 प्रतिशत अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।

4.10.3 एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं : इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर के अंत तक राज्य की तीनो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न ट्रेंचों में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गए है –

कमांक	विवरण	इकाई	परियोजनान्तर्गत कान्ट्रेक्ट में प्रावधान	उपलब्धि	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
अ	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड				
(1)	एचव्हीडीएस के तहत किये गये कार्य–				
	(क)निम्न दाब लाईन से उच्च दाब लाईनों में परिवर्तन	कि.मी.	8352	7943	95 प्रतिशत
	(ख)वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	संख्या	35193	33123	94 प्रतिशत
ब	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड				
(1)	एचव्हीडीएस के तहत किये गये कार्य–				
	(क)निम्न दाब लाईन से उच्च दाब लाईनों में परिवर्तन	कि.मी.	2589.78	901	34.79 प्रतिशत
	(ख) 33 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	–	–	–
	(ग) 11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	2200	1560	70.91 प्रतिशत
	(घ)वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	संख्या	13230	4165	31.48 प्रतिशत
(2)	अन्य कार्य				
	(क)निम्न दाब उच्च श्रेणी उपभोक्ताओं की ए.एम. आर.मीटरिंग	संख्या	8394	6796	80.96 प्रतिशत
	(ख)33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का नवीनीकरण	संख्या	444	409	92.12 प्रतिशत
	(ग) नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	120	73	60.83 प्रतिशत
(3)	33 के.व्ही.लाईन	कि.मी.	985	377	38.27 प्रतिशत
(4)	11 के.व्ही.लाईन	कि.मी.	1146	287	25.04 प्रतिशत
(5)	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	882	455	51.59 प्रतिशत
(6)	1500 के.व्ही. ए.आर., 11 के. व्ही.कैपेसिटर बैंक	संख्या	433	373	86.14 प्रतिशत

कमांक	विवरण	इकाई	परियोजनान्तर्गत कान्ट्रेक्ट में प्रावधान	उपलब्धि	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
स	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड				
(1)	एचव्हीडीएस के तहत किये गये कार्य–				
	(क)निम्न दाब लाईन से उच्च दाब लाईनों में परिवर्तन	कि.मी.	1328	1229	92.54 प्रतिशत
	(ख) 33 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	436	259	59.4 प्रतिशत
	(ग) 11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	6415	4649	72.47 प्रतिशत
	(घ)वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	संख्या	11173	9697	86.78 प्रतिशत
(2)	अन्य कार्य				
	(क) 11 के.व्ही.ए.आर. केपेसिटर बैंक				
	1200 के.व्ही.ए.आर	संख्या	136	136	100 प्रतिशत
	600 के.व्ही.ए.आर	संख्या	150	150	100 प्रतिशत
	(ख) नये 33 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	27	27	100 प्रतिशत
	(ग) अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर	संख्या	37	37	100 प्रतिशत
	(घ) पावर ट्रांसफार्मरों का आर्वधन	संख्या	114	114	100 प्रतिशत
	(ड़) डीटीआर मीटरिंग	संख्या	12026	12028	100 प्रतिशत
	(य) कण्डक्टरों का आर्वधन	कि.मी.	1537.6	1531	99.57 प्रतिशत

4.10.4 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण के कार्य : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दसवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राज्य के 8 जिलों की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसकी कुल लागत रू. 523 करोड़ थी, जिसमें 115 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु तथा 9653 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के साथ–साथ 305223 हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन दिया जाना था। इसके अंतर्गत दिनांक 31.12.2013 तक 115 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 9538 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर 287810 हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण किया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में कमशः दो चरणों में 44 जिलों के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसकी कुल लागत रू. 2214.50 करोड़ है।

योजनांतर्गत 803 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, 38397 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण एवं 1574075 हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की 24 एवं 20 योजनाओं में रू. 1141.64 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

दिनांक 31.12.2013 तक प्रथम चरण की 24 योजनाओं में 508 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 16453 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर 715563 हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने तथा द्वितीय चरण की 20 योजनाओं के अन्तर्गत 32 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 1235 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर 55649 हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण किया गया है।

5.म.प्र.पावर जनरेटिंग कम्पनी की इकाईयों से विद्युत उत्पादन : वर्ष 2013–14 में म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा ताप एवं जल से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कमशः 23685 मि.ई. एवं 2686 मि.ई. रखा गया है। वर्तमान वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से 11786 मि.ई. एवं जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों से 2831 मिलियन इकाई का उत्पादन हो चुका है।

6. संयंत्र उपयोगिता घटक : विगत चार वर्षों तथा इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक निम्नानुसार रहा है –

वर्ष	संयंत्र उपयोगिता घटक प्रतिशत में
2009–10	62.86 प्रतिशत
2010–11	61.10 प्रतिशत
2011–12	61.38 प्रतिशत
2012–13	66.23 प्रतिशत
2013–14 (31 दिसम्बर, 2013 तक)	60.53 प्रतिशत

7–राज्य की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनायें :

7.1 सतपुड़ा ताप विद्युत गृह 2 X 250 मेगावाट विस्तार इकाई कमांक 10 एवं 11, सारणी, जिला बैतूल :

वित्त प्रबंधन

परियोजना लागत	–	**रू. 3265.00 करोड़**
पी.एफ.सी.द्वारा स्वीकृत ऋण	–	**रू. 2300.20 करोड़**
अतिरिक्त स्वीकृत ऋण	–	**रू. 431.56 करोड़**
अंशपूंजी	–	**रू. 653.00 करोड़**

परियोजना का वित्तीय पोषण 80: 20 के अनुपात में पी.एफ.सी. से ऋण तथा राज्य शासन से अंशपूंजी द्वारा किया जाना है। पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार परियोजना की इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि निम्नानुसार है :

इकाई क्र.10 –अगस्त, 2013 से व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है।
इकाई क्र.11 –फरवरी, 2014 से व्यवसायिक उत्पादन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में परियोजना से संबंधित कार्यों का विवरण :

- ❖ मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा मुख्य संयंत्र एवं मेसर्स एम.बी.ई.एल. द्वारा शेष संयंत्र के निर्माण हेतु डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग का कार्य, सिविल इरेक्शन कार्य एवं उपकरणों का प्रदाय प्रगति पर रहे।
- ❖ इकाई क्रं. 10 के बॉयलर, ई.एस.पी., कंडेण्सर एवं टी.जी. इरेक्शन के कार्य लगभग पूर्ण हुए।
- ❖ इकाई क्रं. 10 के एन.डी.सी.टी. का शेल पूर्ण हुआ।
- ❖ इकाई क्रं. 10 के बॉयलर लाईट अप, स्टीम ब्लोइंग, टी.जी.बॉक्स, टी.पी.ऑयल फ्लशिंग एवं टी.जी. बारिंग जैसे प्रमुख माइल्स स्टोन प्राप्त किये गये।
- ❖ इकाई क्रमांक 10 दिनांक 22.02.2013 को प्रथम बार आयल पर एवं दिनांक 22.03.2013 को कोल सिंक्रोनाइज्ड किया गया।
- ❖ इकाई क्रमांक 11 का बॉयलर ड्रेनेबल हाइड्रोलिक टेस्ट दिनांक 30.04.2012 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
- ❖ इकाई क्रमांक 11 के बॉयलर, ई.एस.पी., कण्डेण्सर इरेक्शन एवं टरबाइन इरेक्शन के कार्य प्रगति पर रहे।
- ❖ इकाई क्रमांक 11 के मुख्य संयंत्र के अंतर्गत विभिन्न ऑक्ज़ीलरीज़ के सिविल/मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
- ❖ चिमनी के प्रथम एवं द्वितीय फ्लूकेन इरेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया।
- ❖ इकाई क्रमांक 11 के एन.डी.सी.टी. के शेल कास्टिंग का कार्य प्रगति पर रहे।
- ❖ कोल फीडिंग हेतु वर्तमान कोल हैडलिंग प्लांट से कोल फीडिंग शुरू किया गया।
- ❖ रॉ वाटर एवं डी.एम.प्लांट को कमीशन कर सेवा में लिया गया।
- ❖ 400 के.व्ही. स्विचयार्ड को टेस्ट चार्ज किया गया।
- ❖ शेष संयंत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों (ए.एच.पी., सी.एच.पी., सी.डब्ल्यू. सिस्टम, एन.डी.सी.टी. इत्यादि) में सिविल/स्ट्रक्चरल एवं मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2012–13 के दौरान इस परियोजना पर कुल 794.36 करोड़ रूपये (प्रावधिक) एवं मार्च, 2013 तक कुल 2456.98 करोड़ रूपये (प्रावधिक) व्यय किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में परियोजना से संबंधित कार्यों का विवरण :

- मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा इकाई कमांक 11 के मुख्य संयंत्र के निर्माण हेतु शेष उपकरणों का प्रदाय पूर्णता पर है।
- बैलेन्स आफ प्लान्ट के निर्माण हेतु मेसर्स एम.बी.ई.एल. द्वारा शेष उपकरणों का प्रदाय प्रगति पर है।
- इकाई कमांक 11 के एन.डी.सी.टी. के शेल कॉस्ट पूर्ण हो चुका है। प्रथम हाफ सेक्शन चार्ज किया जा चुका है।
- इकाई कमांक 10 को दिनांक 30.04.2013 को पूर्ण भार पर चलाया गया।
- इकाई कमांक 10 द्वारा दिनांक 18.08.2013 से व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया गया। इकाई कमांक 10 के शेष बचे कार्य पूर्णता पर है।
- इकाई कमांक 11 के बॉयलर लाईट अप, स्टीम ब्लोइंग, टी.जी.बॉक्स अप, टी.जी.ऑयल फ्लशिंग एवं बारिंग जैसे प्रमुख माइल स्टोन प्राप्त किये जा चुके हैं।
- इकाई कमांक 11 को दिनांक 02.10.2013 को प्रथम बार ऑयल पर सिंक्रोनाइज किया गया।
- इकाई कमांक 11 के बॉयलर, ई.एस.पी., कण्डेण्सर इरेक्शन एवं टरबाईन इरेक्शन/कमीशनिंग के कार्य प्रगति पर है।
- इकाई कमांक 11 के मुख्य संयंत्र के अंतर्गत विभिन्न शेष आक्ज़ीलरीज़ के सिविल/मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
- कोल हैडलिंग संयंत्र के वेगन टिपलर–1 एवं 2 को कमीशन किया गया एवं इकाई कमांक 10 के कोल बंकर में कोल फीडिंग शुरू की गई। इकाई कमांक डी बंकर में कोल बंकरिंग की गई।
- शेष संयंत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों (ए.एच.पी., सी.एच.पी., सी.डब्ल्यू. सिस्टम, एन.डी.सी.टी. इत्यादि) में शेष सिविल/स्ट्रक्चरल एवं मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना पर वर्ष 2013–14 में दिनांक 30.11.2013 तक लगभग कुल रूपये 455 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक लगभग कुल रूपये 2912 करोड़ (प्रावधिक) व्यय किए जा चुके है, जो कि परियोजना की पुनरीक्षित लागत रूपये 3265.00 करोड़ का 89% है।

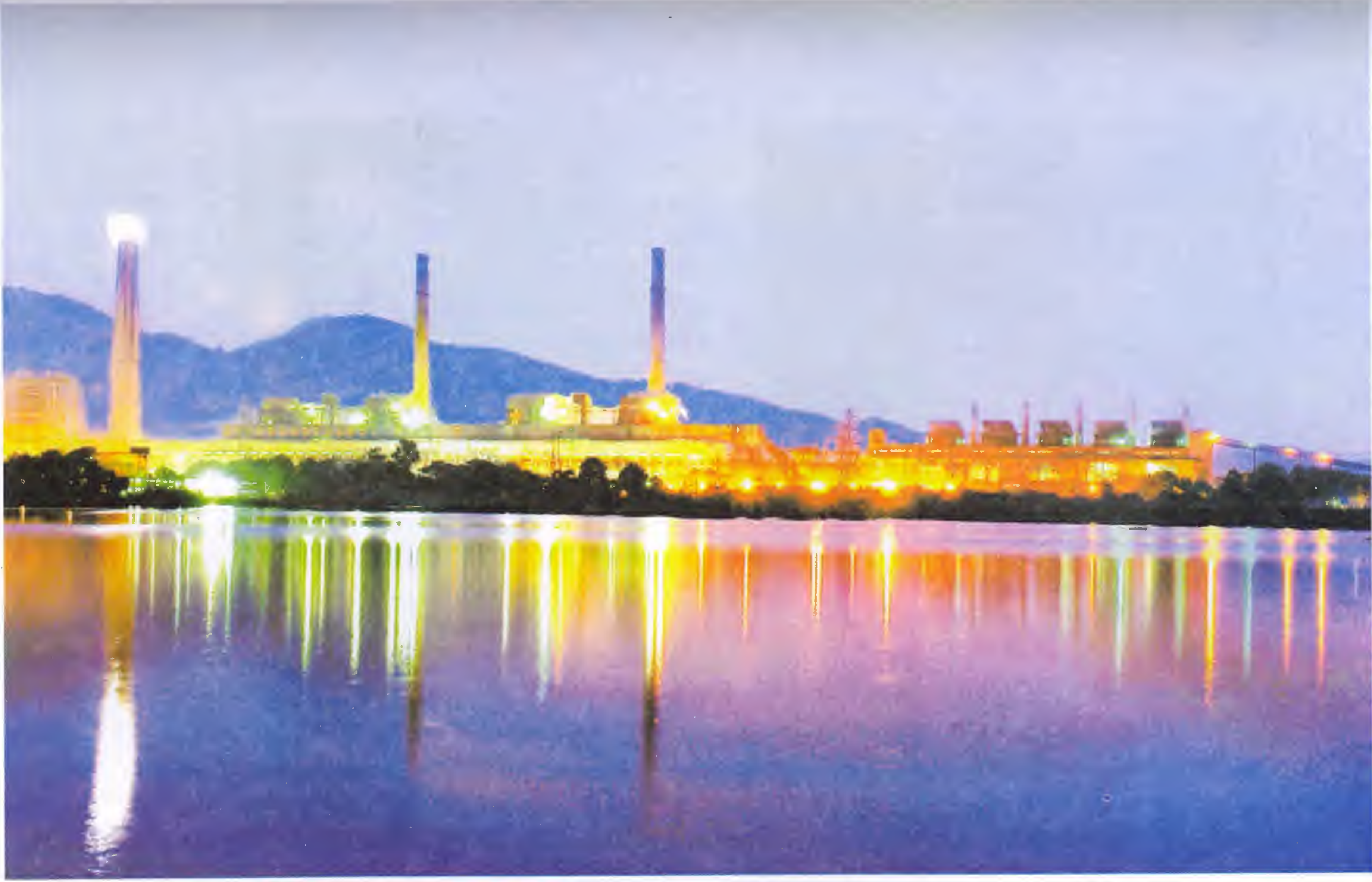

सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारणी का विहंगम दृश्य

सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारणी

सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारणी इकाई कमांक 10 एवं 11
के शीतलीकरण टॉवर

7.2 सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी (1X660 मेगावाट विस्तार नई इकाई) : म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल से सारणी स्थित विद्युत गृह कमांक–1 (5X62.5 मेगावाट) के स्थान पर 1X660 मेगावाट विस्तारित इकाई की स्थापना हेतु निर्णय लिया है। इस इकाई की अनुमानित लागत रू. 4563.55 करोड़ है।

संभाव्यता अध्ययन (फिजीबिलिटी स्टडी) : परियोजना की फिजीबिलिटी स्टडी हेतु मेसर्स डेजिन प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को आशय पत्र जारी किया गया है। परियोजना हेतु चिन्हित स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण अद्यतन किया जा चुका है। प्रस्तुत संभाव्यता प्रतिवेदन के अध्ययन एवं समीक्षा उपरांत यथोचित टिप्पणियों के साथ प्रारूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है।

कोल लिंकेज/ब्लॉक आवंटन : परियोजना के लिए 3.34 मिलियन टन कोयले की प्रतिवर्ष आवश्यकता हेतु केन्द्रीय कोयला मंत्रालय को आवेदन दिनांक 20.11.2012 को तथा इसमें अतिरिक्त कोल ब्लॉक्स के प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आवंटन हेतु दिनांक 28.01.2013 को आवेदन दिया गया है। फलस्वरूप कोयला मंत्रालय द्वारा **"गणबहेरा कोल ब्लॉक (सिंगरौली)"** का आवंटन दिनांक 05.08.2013 को किया गया है।

जल उपलब्धता : इस इकाई हेतु जल की आवश्यकता 1757 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा आंकी गई है, जिसकी आपूर्ति बांध पर बने जलाशय से की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जलाशय की डीसिल्टिंग भी प्रस्तावित है। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है। म.प्र.शासन द्वारा इस परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। परियोजना हेतु ऋण प्राप्ति के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखा गया है। पावर फायनेंस कार्पोरेशन ने 3720 करोड़ रूपये का ऋण परियोजना के लिए देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.05.2013 को ई.आई.ए. अध्ययन हेतु टी.ओ.आर. प्रदान किया है। सलाहकार की फील्ड मॉनिटरिंग टीम द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। परियोजना सलाहकार की नियुक्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही जारी है। एयरपोर्ट ॲथोरिटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा दिनांक 09/11 जुलाई, 2013 को इकाई की 275 मीटर ऊॅची चिमनी के निर्माण हेतु अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।

7.3 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2 X 600 मेगावाट) : प्रथम चरण (इकाई कमांक 1 एवं 2) ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा

वित्त प्रबंधन

परियोजना लागत	–	रूपये 6750 करोड़ ।
पी.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत ऋण	–	रूपये 5160.42 करोड़।
अंशपूंजी	–	रूपये 1350 करोड़ ।

शेष राशि हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार परियोजना की इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि निम्नानुसार है:–

इकाई क. 1	–	फरवरी, 2014 (व्यवसायिक उत्पादन)
इकाई क. 2	–	जून, 2014 (व्यवसायिक उत्पादन)

परियोजना निर्माण कार्यों की प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2012–13 में परियोजना से सम्बधित कार्यो का विवरण : मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा मुख्य संयंत्र से संबंधित सामानों की आपूर्ति, इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य तथा मेसर्स एल. एन.टी. द्वारा बैलेंस ऑफ प्लान्ट (बी.ओ.पी.) के सामानों की आपूर्ति, इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इकाई क्र. 1 एवं 2 में टी.जी.बायॅलर एवं ई.एस.पी. का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है तथा बॉयलर का लाईट–अप (गन ट्रायल) सम्पन्न किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान मार्च, 2013 तक परियोजना पर लगभग 5095 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके थे।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में परियोजना से सम्बधित किए गए कार्यो का विवरण :

- इकाई क्रमांक 1 एवं 2 में टी.जी., बॉयलर, ई.एस.पी. एवं संबंधित आक्जीलरीज का इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
- इकाई क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 18.11.2013 को फुल लोड 600 मेगावाट प्राप्त किया गया।
- व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु शेष कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- बैलेंस आफ प्लांट (बी.ओ.पी.) के विभिन्न क्षेत्रों में सामानों की आपूर्ति एवं इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के शेष कार्य :

क्र.	विवरण	इकाई क्र. 1	इकाई क्र. 2
1.	बॉयलर लाइट अप	पूर्ण	25 दिसम्बर, 2013
2	टी.जी.बारिंग गियर	पूर्ण	जनवरी, 2014
3	सिंक्रोनाइजेशन (आईल)	पूर्ण	फरवरी, 2014
4	सिंकोनाइजेशन (कोल)	पूर्ण	मार्च, 2014
5	सी.ओ.डी.	फरवरी, 2014	जून, 2014

7.4. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट)–द्वितीय चरण इकाई क्रमांक 3 एवं 4 –ग्राम–डोगलिया जिला खंडवा : परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु म.प्र.शासन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना हेतु जल आवंटन व भूमि भी उपलब्ध है। परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट का दर्जा भी प्राप्त है। परियोजना के लिए एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 'पावर परचेस एग्रीमेण्ट' निष्पादित किया गया है।

वित्त प्रबंधन :–

परियोजना लागत – रू. 6500 करोड़

अंशपूंजी – रू. 1300 करोड़ (मध्य प्रदेश शासन द्वारा)

पी.एफ.सी. से ऋण – रू. 4862 करोड़

कोल लिंकेज/ब्लॉक आवंटन : परियोजना हेतु इंडिपेन्डेन्ट कोल ब्लॉक के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन दिया गया था। कोयला मंत्रालय ने **"गणबहेरा" सिंगरौली कोल ब्लॉक** आवंटित किया है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के शीतलीकरण टॉवर, जिला खण्डवा

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, जिला खण्डवा

परियोजना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.01.2011 को आवेदन दिया गया तथा परियोजना के लिए दिनांक 22.07.2013 को स्वीकृत कोल ब्लॉक के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया। परियोजना में मुख्य संयंत्र निर्माण कार्य हेतु प्राईस बिड प्राप्त हो चुकी है। परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यादेश जारी किये जाने प्रस्तावित है। परियोजना की दोनों इकाईयों को वर्ष 2016–17 में कमीशन किया जाना प्रस्तावित है।

7.5 **2X 800 मेगावाट दादा धूनीवाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट गोराड़िया, जिला खण्डवा** – परियोजना की स्थापना के उद्‌देश्य से मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी तथा मेसर्स बी.एच.ई.एल. की संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित की गयी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 26.04.2012 को हुई। जन सुनवाई की रिपोर्ट की प्रति म.प्र.पर्यावरण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.ओ.ई.एफ. को दिनांक 22.06.2012 को प्रेषित की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 24.08.2012 को पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की गई। परियोजना के लिए भू–अर्जन एवं अन्य कार्यो हेतु मार्च 2011 में राज्य शासन के बजट से विमुक्त किए गए रू. 20 करोड़ एवं मेसर्स भेल द्वारा दिये गये रू. 20 करोड़ में से अधिग्रहण की जाने वाली 925 एकड़ भूमि (1000 एकड़ में से) हेतु रू. 35.54 करोड़ भू–अर्जन मद में दिनांक 09.06.2011 को जमा करा दिए गए हैं। भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के कंडिका 4, 5, 6 एवं कंडिका 9 के परिपालन में कार्यवाही दिनांक 21.12.2012 को पूर्ण की गई।

परियोजना हेतु कोयला खदान के आवंटन न होने के कारण, मेसर्स डी.डी.के.पी. एल. बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है कि परियोजना हेतु भू–अर्जन की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, तद्नुसार कलेक्टर, खण्डवा को लेख किया गया है। परियोजना के लिए 155 टी.एम.सी. जल आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। परियोजना के लिए 7.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले के आवंटन हेतु केन्द्रीय कोल मंत्रालय को आवेदन दिनांक 27.01.2010 को भेजा गया। साथ ही मेसर्स डी.डी.के.पी.एल द्वारा दिनांक 28.01.2013 को केन्द्रीय कोयला मंत्रालय की **"प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा कोयला खदानों की नीलामी नियम 2012"** के अंतर्गत कोयला खदान आवंटन हेतु आवेदन किया गया। तथापि कोयला खदानों के आवंटन हेतु गठित कमेटी द्वारा 7 जून, 2013 को सम्पन्न हुई मीटिंग में इस परियोजना हेतु खदान आवंटित नहीं की गई।

परियोजना के अंशपूंजी का वित्त पोषण 26 % बीएचईएल, 10% म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., 16% सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों/बैंकों/वित्त संस्थानों एवं 48% रणनीतिक निवेशक (Strategic investor) द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। परियोजना के सार्वजनिक क्षेत्र के एवं रणनीतिक निवेशक (Strategic investor) अंशपूंजी के चयन हेतु पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। कोल आवंटन की अनुपलब्धता के कारण डी.डी.के.पी.एल. बोर्ड ने सुझाव दिया कि म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. या बी.एच.ई.एल. में से कोई एक, कंपनी (डी.डी.के.पी.एल.) में 100% अंशपूंजी का निवेश करें। बी.एच.ई.एल. द्वारा 100% अंशपूंजी लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गई है। म.प्र.पॉ. जन.कं.लि. निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2013 में राज्य शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त करने के संबंध में निर्णय लिया गया था, जिस पर राज्य शासन द्वारा असहमति दर्शाई गई है।

परियोजना से उत्पादित विद्युत में से 65% क्रय हेतु दिनांक 04.01.2011 को एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी से अनुबंध किया गया। म.प्र.शासन ने पत्र दिनांक 21.06.2012 द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि परियोजना से न्यूनतम 15% बिजली किसी अन्य को लंबी अवधि (जैसा कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया में वर्णित है) के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दर पर दी जाती है

तो एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी भी इस दर पर विद्युत प्राप्त करने हेतु हककारी होगा। कोयला आवंटन न होने के कारण 100% आयातित कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन करने पर घरेलू कोयले की तुलना में विद्युत दर में अत्यधिक वृद्धि गणित की गई। तद्नुसार डी.डी.के.पी.एल. बोर्ड के निर्णयानुसार विद्युत दर वृद्धि को म.प्र.पा.ज.कं.लि. को स्वीकारने बाबत् लेख किया गया, जिसे स्वीकार करने में एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19.09.2013 के द्वारा असमर्थता व्यक्त की। म.प्र.पा.जन.कं.लि. बोर्ड द्वारा दिनांक 30.10.2013 को हुई मीटिंग के निर्णयानुसार म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के उपरोक्त निर्णय को डी.डी.के.पी.एल. को सूचित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में इस परियोजना का कियान्वयन संभव प्रतीत नहीं होता, अतः अर्जित भूमि वापस करने तथा जल आवंटन हेतु जमा राशि वापिस प्राप्त करने हेतु कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई है।

8 प्रस्तावित जल आधारित विद्युत परियोजनाएं :

(अ) कन्हान जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट) जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की बहुउद्देश्यीय परियोजना।

(ब) सोन जलविद्युत परियोजना (100 मेगावाट) जिला–सीधी , बाणसागर बांध के डाउन स्ट्रीम में।

(स) गांधीसागर– दो जल विद्युत परियोजना (160 मेगावाट) मन्दसौर जिले में चम्बल नदी पर।

तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहारिकता प्रतिपादित होने पर व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर उपरोक्त परियोजनाओं को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित करने का लक्ष्य है।

9–राज्य में पारेषण संबंधी कार्य– राज्य में पारेषण के कार्यो का दायित्व **म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड** पर है। म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है–

9.1 अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र : वर्ष 2013–14 में राज्य में पारेषण कार्यो हेतु 376.41 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध योजना मद में 241.43 करोड़ रुपये तथा अन्य स्त्रोतों से 430.46 करोड़ रूपये कुल रुपये 671.89 करोड़ का व्यय कर 1409 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण एवं अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की 3189 एमवीए की क्षमता वृद्दि करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

माह नवम्बर, 2013 तक 718.15 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में 2110.50 एमवीए की क्षमता वृद्दि की गई। इस प्रकार माह नवम्बर, 2013 तक लगभग 28542.69 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता 39860.50 एमवीए हो गई है।

9.2 पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ : वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह नवम्बर, 2013 तक पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ तथा प्रगामी उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

क्र	विवरण	इकाई	2012–13 में उपलब्धि	वर्ष 2013–14 मे माह नवम्बर तक उपलब्धि	वर्ष 2012–13 में माह नवम्बर, के अंत तक प्रगामी उपलब्धि
क	पारेषण लाइनें				
1	400 केवी	सर्किट कि.मी.	105	271.87	2720.00
2	220 केवी	सर्किट कि.मी.	248	22.28	11355.25
3	132 केवी	सर्किट कि.मी.	353	424.00	14406.44

क्र	विवरण	इकाई	2012–13 में उपलब्धि	वर्ष 2013–14 मे माह नवम्बर तक उपलब्धि	वर्ष 2012–13 में माह नवम्बर, के अंत तक प्रगामी उपलब्धि
4	66 केवी	सर्किट कि.मी.	–	–	61
5	योग (अ)	सर्किट कि.मी.	706	718.15	28542.69
ख	अति उच्चदाब उपकेन्द्र				
1	400 केवी	एम.वी.ए.	945	315	5775
2	220 केवी	एम.वी.ए.	640	160	15910
3	132 केवी	एम.वी.ए.	601	1635.50	18155.50
4	66 केवी	एम.वी.ए.	–	–	20
	योग (ब)	एम.वी.ए.	2186	2110.50	39860.50

9.3 भविष्य में पारेषण विस्तार योजना हेतु कार्यक्रम (12वीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2012–17): आगामी पारेषण आवश्यकताओं का आंकलन क्रिटिकल लोड फ्लो एवं विद्युत प्रणाली के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित मापदंडो को ध्यान में रखकर किया गया है :–

- उत्पादन क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम (एमपीजेनको एवं आईपीपी के द्वारा)।
- ❖ राज्य में वर्गवार विद्युत भार में वृद्धि।
- ❖ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सूचित की गई नई औद्योगिक इकाईयों की अपेक्षित आवश्यकता एवं वर्तमान इकाईयों की अतिरिक्त आवश्यकता।
- ❖ पीजीसीआईएल प्रणाली से अंर्तसंपर्क (interconnection) के कारण अपेक्षित वृद्धि।

<u>12वीं पंचवर्षीय ट्रांसमिशन योजना</u>

क.	योजना	वर्षवार योजना (2012–17)					कुल कार्य (12वीं पंचवर्षीय योजना)
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
अ.	ईएचवी लाईन (सर्किट कि.मी.)						
1	400 के.व्ही.लाईन	790	490	90	1100	370	2840
2	220 के.व्ही.लाईन	436	412.1	243	468	650	2209.1
3	132 के.व्ही.लाईन	876.2	1515	1803	566	858	5618.2
	कुल (सर्किट कि.मी.)	2102.2	2417.1	2136	2134	1878	10667.3
ब.	ईएचवी उपकेन्द्र (एमवीए)						
1	400 के.व्ही.उपकेन्द्र	1575	1260	945	2205	0	5985
2	220 के.व्ही.उपकेन्द्र	1120	1600	2720	1280	960	7680
3.	132 के.व्ही.उपकेन्द्र	649	1717	2152	723	792	6033
	कुल एमवीए	3344	4577	5817	4208	1752	19698

क्र.	योजना	वर्षवार योजना (2012–17)					कुल कार्य (12वीं पंचवर्षीय योजना)
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
स.	ईएचवी उपकेन्द्र (नम्बर)						
1	400 के.व्ही.उपकेन्द्र	4	0	2	4	0	10
2	220 के.व्ही.उपकेन्द्र	1	6	4	6	0	17
3	132 के.व्ही.उपकेन्द्र	9	22	32	1	3	67
	कुल (न.)	14	28	38	11	3	94

वित्तीय वर्ष 2013–14 में ए.डी.बी. से स्वीकृत ऋण में से प्राप्त रूपये 24.27 करोड, जायका से रूपये 47.87 करोड तथा मध्य प्रदेश शासन से सामान्य, आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत क्रमशः रूपये 21.00 करोड, रूपये 16.00 करोड , रूपये 62.00 करोड, कुल रूपये 171.14 करोड की राशि से 400 के.व्ही., 220 के.व्ही., 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाईनों के साथ–साथ विभिन्न पारेषण कार्यों के लिए प्राप्त की गई।

9.4 कम्पनी में प्रणाली के समग्र उन्नयन के लिये नवीन तकनीकी ग्राह्यता :

- **स्काडा :** विद्युत मांग में असाधारण वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रदेश में पारेषण संरचना में द्रुत गति से विस्तार होने के फलस्वरूप प्रदेश की पारेषण संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है, जिससे भार प्रबंधन का कार्य दुष्कर होता जा रहा है। प्रदेश की पारेषण व्यवस्था का सुचारू, एवं प्रभावपूर्ण रूप से संचालन तथा नियंत्रण हेतु स्थापित 400 के.व्ही., 220 के.व्ही., 132 के.व्ही, के अति उच्चदाब केन्द्रों पर स्काडा सिस्टम (सुपरवाईजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन) की स्थापना संबंधी कार्य का कियान्वयन प्रारंभ किया जा रहा है एवं अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं।

- **ओपन एक्सेस : विद्युत अधिनियम –** 2003 की अवधारणा के अनुरूप पारेषण कम्पनी द्वारा खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्ते विनियम के कियान्वयन होने से अद्यतन स्थिति में कुल 95 आवेदनों पर लगभग 156.73 मेगावॉट पारेषण हेतु दीर्घकालीन खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

- **इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम :** आंधी एवं अन्य कारणों से पारेषण लाइनों के टॉवर गिरने की स्थिति में त्वरित विद्युत आपूर्ति की बहाली के लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग करते हुये इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम कय करने का निर्णय लिया गया है।

- **बहु परिपथ (मल्टी सर्किट) टॉवर :** वर्तमान में पारेषण क्षेत्र में मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) एक प्रमुख चुनौती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विशेषकर शहरी क्षेत्र/मार्गाधिकार की समस्या वाले सघन क्षेत्रों में, उच्च सघन पारेषण परिपथ के विकास हेतु जोर दिया जा रहा है। टॉवर के आधार क्षेत्र को कम किया जाकर, ठोस सकरे आधार वाले टॉवर या बहुपथ मोनोपोल संरचना का उपयोग किया जा रहा है।

❖ **अति उच्चदाब उपकेन्द्रों को सतत् विद्युत उपलब्धता एवं विद्युत प्रदाय हेतु सुदृढ़/उन्नयन करने की योजनायें:** वर्तमान में कार्यरत् 132 केवी के 202 उपकेन्द्रों में से 73 अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों को एक ही स्त्रोत से विद्युत प्रदाय की जा रही है। इन उपकेन्द्रों को वैकल्पिक विद्युत प्रदाय करने की योजना बनाई जा चुकी है, जिसे उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पूर्ण करना विचाराधीन है। अति उच्चदाब 76 उपकेन्द्रों में एक ट्रांसफार्मर के साथ एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की योजना का भी कियान्वयन जारी है।

400 के.व्ही. उपकेन्द्र पीथमपुर

9.5 अंगीकृत प्रौद्योगिकी :

❖ **अग्नि संकटों से सुरक्षा** : 400 के.व्ही. और 220 के.व्ही. इंटरकनेक्टिंग उपकेन्द्रों में परिणामित्रों के साथ आग को सीमित कर बुझाने वाले नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम तंत्र लगाए गए है।

❖ **लाइटनिंग अरेस्टर/सर्ज अरेस्टर के लीकेज करंट एनालॉयजर** : इसके द्वारा सर्विस में लगे लाइटनिंग अरेस्टर का लीकेज करंट नापकर, ज्यादा होने पर उसे क्षतिग्रस्त के पहले ही बदला जा सकता है।

❖ **फॉल्ट लोकेटर** : कम्पनी द्वारा फॉल्ट एनालायजर सिस्टम का उपयोग फॉल्ट की लोकेशन पता करने एवं लाईन के शुरूआती सिग्नेचर (लोकेशन की डिस्क कमजोर होने का पता करने हेतु) लेने के लिए किया जाता है।

❖ **ओसांक (ड्यू पाईट) मीटर** : साईट पर नवीन ट्रांसफार्मर की वाईडिग की डिग्री ऑफ ड्रायनेस अर्थात् वाईडिंग का सूखापन का पता किया जाता है।

❖ **थर्मल इमेजिंग/थर्मोविजन कैमरा** : थर्मल इमेजिंग /थर्मोविजन कैमरा द्वारा गर्म हो रहे ट्रांसमिशन लाईन जम्पर्स, क्लेम्पस, यहां तक की गर्म हो रहे ट्रांसफार्मर बुशिंग का भी पता लगाया जा सकता है।

❖ **थ्री फेस रिलेटेस्ट किट (करंट जनरेटर के साथ)** : रिले परीक्षण, ट्रांसफार्मर तथा रिएक्टर प्रोटेक्टर स्कीम जोन मेपिंग तथा जोन वेरिफिकेशन आगे तथा पीछे, स्टेटिक न्युमेरिकल एवं आटो रिक्लोजर आदि।

❖ ब्रेकर हेतु डायनामिक कान्टेक्ट रजिस्टेन्स नापने हेतु उपकरण ।

❖ लेवल मीटर तथा लेवल ऑसीलेटर।

❖ थर्मो साइफन फिल्टर प्रणाली का नवीनीकरण।

❖ ऑन लाईन मानिटरिंग सिस्टम।

❖ आटोमेटिक टर्न रेशो मीटर।

❖ इम्पेक्ट रिकार्डर तथा वाहन स्थिति सूचक यंत्र।

❖ हारमोनिक एनालायजर।

❖ स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पोन्स एनालाइजर (एस.एफ.आर.ए.)।

❖ जीपीएस तंत्र का इवेन्ट रिकार्डर को समाकालिक करने में उपयोग।

9.6 वर्तमान और भविष्य का परिदृश्य :

❖ **परियोजना कियान्वयन (Project Implementation)** : म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 400 के.व्ही. सतपुड़ा–आष्टा पारेषण लाईन परियोजना (लंबाई 240 किलोमीटर) को जन निजी भागीदारी प्रणाली (Public Private Partnership Mode) द्वारा डीबीएफओटी (DBFOT) तरीके से विकसित करने हेतु कार्यवाही वर्ष 2011–12 में शुरू की गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न आधिकारिक संस्थाओं एवं म.प्र.शासन से सभी आवश्यक स्वीकृतियॉ प्राप्त की गई है। इस हेतु क्रमबद्ध गतिविधियों में परियोजना निवेश की अनुज्ञा, प्रोजेक्ट राशि (फंड) का गतिशीलन निविदा क्रियाएं समय–समय पर परियोजना की पुनः समीक्षा एवं निरीक्षण तथा अन्य गतिविधियॉ जैसे कि भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण आदि शामिल है। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी ने बिड प्रोसेस कोआर्डिनेटर के रूप में परियोजना विकास हेतु निविदायें आमंत्रित की। तत्पश्चात् मेसर्स कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमि., गांधीनगर को 400 के.व्ही. सतपुड़ा आष्टा डीसीडीएस पारेषण परियोजना का विकास डीबीएफओटी आधार पर करने हेतु 60.75 करोड़ रूपये के अनुदान (परियोजना की अनुमानित लागत का 21.49 प्रतिशत) के साथ ठेका प्रदान किया गया है।

❖ **उद्यम संसाधन आयोजना (Enterprise Resource Planning ERP)** : म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान (आई.टी.सॉल्यूशन) के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने, मौजूदा एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्यम संस्थान आयोजना (इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग–ई.आर.पी.) को लागू करना चाहते है। ई.आर.पी. कार्यान्वयन के जरिये म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी अपने लक्ष्य को अधिक जवाबदारी, शीघ्रता और बेहतर प्रदर्शन द्वारा एवं हानि को न्यूनतम कर भारत में एक आदर्श पारेषण कंपनी के

रूप में मानक स्थापित कर सकेगी। इस तारतम्य में अगस्त, 2013 में मेसर्स प्राइज वॉटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरगांव को कार्यकम प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में चयनित किया गया है।

9.7 राज्य भार प्रेषण केन्द्र :

- **राज्यांतरिक उपलब्धता आधारित दर** : देश में राज्यांतरिक उपलब्धता आधारित दर प्रणाली लागू करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा माह नवम्बर, 2011 से राजकीय घटकों/इकाईयों के मासिक राज्य ऊर्जा लेखा रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क तथा राज्य सूचीबद्ध विनियम लेखा एवं देयकर प्रेषित किए जाते है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र में राज्य सूचीबद्ध विनियम लेखा एवं देयकर का साप्ताहिक जारी करने हेतु स्वचालित मीटर रीडिंग पद्धति का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्थापित उपलब्धता आधारित दर मीटरों की साप्ताहिक गणना स्वचालित रूप से संभव होगी।
- **आन्तरिक विद्युत प्रोटेक्शन आडिट** : मध्यप्रदेश में भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी एवं नर्मदा हाइड्रो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अभियंताओं के द्वारा 09 उत्पादन केन्द्रों एवं 28 उच्च दाब उपकेन्द्रों में आंतरिक प्रोटेक्शन ऑडिट सफलतापूर्वक समयावधि में पूर्ण किया गया।

9.8 हरित पहल (ग्रीन इनिशियेटिव) – ऊर्जा आपूर्ति के नये साधन (Green Initiative) : पारंपरिक ऊर्जा के तीव्रता से क्षीण होते हुए स्त्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न संस्थाओं की विद्युत मांग को सौर पैनलों के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। कंपनी ने चयनित अतिउच्चदाब उपकेन्द्रो के स्विच यार्ड और नियंत्रण कक्ष की सहायक ऊर्जा आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूर्ण करने के लिए 5 नग 20 किलोवाट सौर फोटो वोल्टिक विद्युत संयंत्रों को चिन्हित 220 केवी अति उच्चदाब उपकेन्द्रों यथा छिंदवाड़ा, मंडीदीप, पिपरिया, आष्टा और छैगांव में स्थापित कर कार्यान्वित किये जा चुके है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा राजगढ़ (ब्यावरा) के समीप एक सोलर पार्क विकसित करते हुए 4 सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को 33 के.व्ही. " **बे** " द्वारा 220 के.व्ही.उपकेन्द्र राजगढ़ से जोड़ा गया है, जिनके कुल उत्पादन क्षमता 20.5 मेगावाट है।

10. ऊर्जा के क्षेत्र में प्रबंधन : राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा प्रदाय की सुनिश्चिता को बनाये रखने के लिये एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का गठन किया गया है। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य की विद्युत उत्पादन कम्पनी के साथ–साथ केन्द्रीय क्षेत्र की एवं सरकारी उपकमों सहित निजी क्षेत्र की उप्तादक कम्पनियों से दीर्घकालीन विद्युत कय अनुबंध कर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है।

10.1 विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि : एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा निम्न परियोजनाओं के विकासकर्ताओं से दीर्घकालीन विद्युत कय अनुबंध किया है। इन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता में 887.5 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर तक प्रदेश की कुल विद्युत उपलब्धता 11292 मेगावाट हो गई है। विकासकर्ताओं से किये गये विद्युत कय अनुबंध की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	परियोजना	विकासकर्ता	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	म.प्र. को प्राप्त होने वाली विद्युत की मात्रा (मेगावाट)	विद्युत क्रय अनुबंध दिनांक
1.	जे.पी. बीना पावर प्लान्ट यूनिट 2	आई.पी.पी.	250	175	7.04.2013
2.	सतपुड़ा टी.पी.एस. यूनिट 10	म.प्र.पा.ज.कं.लि.	250	250	18.08.2013
3.	सासन यू.एम.पी.पी. यूनिट क्रमांक 3	सासन पावर लिमिटेड	660	247.5	16.08.2013
4.	मेसर्स एस्सार पावर	आई.पी.पी.	600	30	31.10.2013
5.	मेसर्स टोरेंट पावर	जीपीपी/आईपीपी	382.5	35	30.04.2013
6.	रिन्यूवेबल एनर्जी	आईपीपी	400	150	01.01.2014

10.2. निजी उत्पादकों से किये गये दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध : वर्ष 2013–14 में 30 नवम्बर तक निम्न परियोजानओं के विद्युत उत्पादन का 5/7.5/10 प्रतिशत अंश रियायती दर पर प्राप्त करने के अधिकार के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा किये गये दीर्घकालिक विद्युत क्रय अनुबंध की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल	प्रस्तावित क्षमता	म.प्र. का रियायती हिस्सा	विद्युत क्रय अनुबंध का दिनांक	क्रियान्वयन की संभावित तिथि
1.	एम.बी.पावर (म.प्र.)	जिला–अनूपपुर	2X660	99	23.08.2013	01.12.2019
2.	आर्यन एम.पी.पावर जनरेटिंग कम्पनी	जिला–सीधी	2X600	60	24.08.2013	26.12.2017
3.	वेलस्पन एनर्जी अनूपपुरप्रा0लि0	जिला–अनूपपुर	2X660	132	31.08.2013	15.07.2016
4.	न्यूजोन इण्डिया प्रा0लि0	जिला–अनूपपुर	2X660	99	05.09.2013	28.02.2017

10.3 नवीन एवं नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की जानकारी : वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 282.25 मेगावाट तथा सात बायोमास परियोजनाओं से 34.30 मेगावाट, नौ सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 255.25 मेगापाट विद्युत क्रय अनुबंध किये गयें है। मेसर्स बैतूल विण्ड फार्म की 49.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को छोडकर शेष सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से तथा चार बायोमास परियोजनाओं से 24.40 मेगावाट, छः सौर परियोजनाओं से 155.25 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने लगी है।

11. मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप : वर्तमान में राज्य में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रभावी होने के पश्चात विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का कार्य व्यापक स्वरुप का हो गया है। शासन की उद्योग संवर्धन नीति के अन्तर्गत उद्योगों एवं

ओद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित केप्टिव पावर संयंत्रो से विद्युत का उत्पादन, ओपन एसेस के माध्यम से विद्युत का पारेषण एवं वितरण में वृद्धि हुई है। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थापित विद्युत उपकरणों, संस्थापनाओं और लाइनों की जांच कर सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। राज्य में विद्युत के विक्रय तथा उपभोग पर राज्य शासन द्वारा अधिरोपित विद्युत शुल्क, उपकर के उदग्रहण का उत्तरदायित्व विद्युत निरीक्षकालय का है। अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक को विधिक स्वरुप में अपील एवं निराकरण की शक्तियां प्रदान की गई है। निम्न अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन का उत्तरदायित्व विद्युत निरीक्षकालय पर है :-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003
(2) विद्युत नियम, 2005
(3) भारतीय विद्युत नियम, 1956
(4) मध्यप्रदेश सिनेमा गृह नियम, 1972
(5) मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960
(6) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012
(7) मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (अद्यतन स्थिति में संशोधन सहित)

विद्युत निरीक्षकालय के लिये सभी श्रेणियों के 594 पदों का सृजन किया गया है। इनमें राजपत्रित वर्ग में प्रथम श्रेणी के 22, द्वितीय श्रेणी के 68, तृतीय श्रेणी के 403 एवं चतुर्थ श्रेणी के 101 पद है। मुख्यालय भोपाल के अधीन इन्दौर, उज्जैन, रीवा एवं जबलपुर में 4 वृत्त कार्यालय, 14 संभागीय कार्यालय तथा 51 उपसंभाग हैं।

11.1. विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी : विद्युत निरीक्षकालय को विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुज्ञापन शुल्क, विद्युत कर एवं उपकर से राजस्व प्राप्त होता है जो कि राज्य शासन की संचित निधि में संग्रहित होता है। विद्युत निरीक्षकालय के लिये पृथक से बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है। विद्युत निरीक्षकालय के आय एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

आय(आँकड़े करोड़ रूपये में)	**वर्ष 2012–2013 में कुल आय रूपये 1477.71 करोड**	**वर्ष 2013–2014 में रूपये 1600 करोड का लक्ष्य (माह नवंबर, 2013 तक रू. 756.09 करोड़ की प्राप्तियां)**
व्यय (आँकड़े करोड़ रूपये में)	**वर्ष 2012–2013 में व्यय रूपये 14.97 करोड**	**वर्ष 2013–2014 में अनुमानित व्यय का बजट प्रावधान रूपये 20.02 करोड**

11.2 विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी) : राज्य में घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं का संबंध विद्युत संस्थापनाओं से होता हैं, जिनकी जांच उपरांत इनकी रोकथाम के लिये तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैं। अन्य विद्युत दुर्घटनाओं के संबंध में जहां विद्युत दुर्घटनाओं में गंभीर दुर्घटनायें पायी जाती हैं, वहां सीधे न्यायालय में प्रकरण दायर कर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है ।

11.3 विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं –

1 टूटे तारों के सम्पर्क में आना ।

2 अज्ञानतावश बिजली के खंबे तथा टावरों पर चढ़ना ।

3 अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य करना ।

4 विद्युत की लाईनो एवं उपकरणों में लीकेज होना।

11.4 अनुज्ञापन मण्डल : भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के अंतर्गत मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 बनाये गये हैं, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष में केवल जुलाई के महीने में तारमिस्त्री एवं पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु परीक्षायें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है।

तारमिस्त्री परीक्षाओं का संचालन प्रत्येक संभागीय कार्यालय स्तर पर गठित संभागीय अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षक परीक्षायें मुख्यालय भोपाल में गठित अनुज्ञापन मण्डल के अधीन आयोजित की जाती है ।

11.5 तारमिस्त्री परीक्षा केन्द्र :–

1. रतलाम	2. उज्जैन	3. ग्वालियर	4. भोपाल	5. इन्दौर	6. सतना
7. खण्डवा	8. जबलपुर	9. सीहोर	10. शहडोल	11.छिंदवाड़ा	12.बैतूल

11.6 पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र :–

1. भोपाल 2. जबलपुर 3. शहडोल

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा "अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारों एवं पर्यवेक्षकों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । जबकि संभागीय अनुज्ञापन एवं क्षेत्रीय अनुज्ञापन समितियों द्वारा "ब" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति एवं तारमिस्त्रीयों को परमिट जारी किये जाते हैं।

11.7 विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर : मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम/नियम 2012 एवं मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (ऊर्जा विकास उपकर) के अंतर्गत उपभोक्ताओं एवं स्वयं के उत्पादकों से उत्पादित विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के रिकार्ड का रखरखाव किया जाता है।

*****

प्रमुख विद्युत समंक 2013–14

प्रपत्र–1

वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 की योजनावार प्रगति –नैवंबर 2013 तक

स.क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	इकाई	12वी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य	वर्ष 2013–14		टिप्पणी
				कार्यक्रम	उपलब्धि	
1.	2.	3	4	5	6	7
I	स्थापित उत्पादन क्षमता					
अ(i)	ग्यारहवी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत परियोजनाएँ					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2x600 मे.वा.)	मेगावाट	1200	1200	600	
2	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्त (2x250 मे.वा.) (10 एवं 11)		500	250	250	
(ii)	बारहवी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत परियोजनाएँ					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना फेस–2 (2x660 मे.वा.)	मेगावाट	1188			
2	दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना (2x800 मेगावाट)					
3	बाण सागर ताप विद्युत परियोजना, टिकराटोला, जिला शहडोल (2X800 मे.वा.)					
	योग (म.प्र.पॉवर सेक्टर योजनाये)		2888	1450	850	
ब	पारेषण कार्य					
(i)	पारेषण लाईन –					
1	400 के.व्ही. अति उच्च दाब पारेषण लाईन	सर्किट कि.मी.	2840.00	228.00	271.87	
2	220 के.व्ही. अति उच्च दाब पारेषण लाईन		2209.00	450.00	22.28	
3	132 के.व्ही. अति उच्च दाब पारेषण लाईन		5618.00	930.00	424.00	
	कुल सर्किट कि.मी.		10667.00	1608.00	718.15	
(ii)	अति उच्च दाब उपकेन्द्र					
1	400 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्र	एम.वी.ए.	5985	1260	315	
2	220 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्र		7680	800	160	
3	132 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्र		6033	1242	1635	
	कुल		19698	3302	2110	
स	उप–पारेषण एवं वितरण कार्य					
1	33 के.व्ही. लाईन	सर्किट कि.मी.	5289.00	3146	1533.00	
2	11 के.व्ही. लाईन		106967.00	38508.00	21100.00	

स.क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	इकाई	12वी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य	वर्ष 2013–14		टिप्पणी
				कार्यकम	उपलब्धि	
1.	2.	3	4	5	6	7
3	एल.टी. लाईन			7002.00	2907.00	
4	पावर ट्रांसफार्मर (33/11 के.वी. नये एवं अतिरिक्त)	संख्या	1443	422	363	
5	वितरण ट्रांसफार्मर (नये)		208329	63136	32174	
द	ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.जी.पी.व्ही. अन्तर्गत)					
1	11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	34003	7587	3596	
2	एल.टी. लाईन		16192	4574	1773	
3	नवीन वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	22199	9158	3227	

प्रपत्र–2

म.प्र.पॉवर सेक्टर की योजनाएं – वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय व व्यय (प्रावधिक)

(लाख रु. में)

सं. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2013–14				
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजना व्यय नवम्बर, 2013 तक		
				योजनान्तर्गत	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
i	उत्पादन परियोजनाएँ					
अ.	कार्यशील विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट)	23973	23973	15956	79286	95242
2	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2X250 मेगावाट)	1333	1333	10068	35473	45541
ब	निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना फेस–2 (2X660 मे.वा.)	12500	12500	53	0	53
2	दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना (2X800 मे.वा.)	1500	1500	0	0	0
3	अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना विस्तार इकाई (1X250 मे.वा.)	1	0.01	0	0	0
4	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार इकाई (1X660 मे.वा.)	1	0.01	0	0	0
स	ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	10000	10000	95	7980	8075
द	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	0	0	0		
	कुल राशि	49308	49306.02	26172	122739	148911
ii	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड					
1	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2X800 मेगावाट)	500	500	0	0	0
2	बाह्य पोषित ईआरपी परियोजनाओं(एडीबी) हेतु ऋण	750	750	463	0	463

सं. क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2013–14				
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजना व्यय नवम्बर, 2013 तक		
				योजना अंतर्गत	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
3	कुल एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1250	1250	463	0	463
	उप–योग राशि (i+ii)	50558	50556.02	26635	122739	149374
iii	पारेषण	36030	36030	24143	43046	67189
iv	उप–पारेषण एवं वितरण	218452	245841.98	123838	40370	164208
	योग राशि (i+ii+iii+iv)	305040	332428	174616	206155	380771
v	अन्य योजनायें					
	अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	4760	4760	1717	15451	17168
	ब. डी.एफ.आइ.डी.	200	200	0	0	0
	कुल योग राशि (i+ii+iii+iv+v)	310000	337388	176333	221606	397939

प्रपत्र–3

म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
विद्युत उत्पादन क्षमता
(30 नवम्बर, 2013 की स्थिति में)

ताप एवं जल विद्युत क्षमता मेगावाट में				
विद्युत गृह	स्थान	इकाई	क्षमता मेगावाट में	म.प्र का अंश क्षमता मेगावाट में
ताप विद्युत गृह				
अमरकंटक ताप विद्युत गृह	चचाई	2 X 120	240	240
अमरकंटक ताप विद्युत गृह		1 X 210	210	210
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह	सारनी	3 X 62.5	187.5	187.5
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह		1 X 200	200	200
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह		1 X 250	250	250
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह		3 X 210	630	630
संजय गांधी ताप विद्युत गृह	बिरसिहपुर	4 X 210	840	840
संजय गांधी ताप विद्युत गृह		1 X 500	500	500
कुल ताप विद्युत क्षमता			3057.50	3057.50
जल विद्युत गृह				
गांधी सागर	गांधी सागर	5 X 23	115	57.5
पेंच	पेंच	2 X 80	160	107
बरगी	बरगी	2 X 45	90	90
टोंस	टोंस	3 X 105	315	315
बाण सागर देवलोंद	देवलोंद	3 X 20	60	60
बाण सागर सिलपरा	सिलपरा	2 X 15	30	30
बाण सागर – 4	झिन्ना	2 X 10	20	20
मड़ीखेड़ा	शिवपुरी	3 X 20	60	60
बिरसिंहपुर	बिरसिंहपुर	1 X 20	20	20
राजघाट	राजघाट	3 X 15	45	22.5
कुल जल विद्युत क्षमता			915	782
अन्य राज्यों में स्थित जल विद्युत गृह				
राणा प्रताप सागर			172	86
जवाहर सागर			99	49.5
सकल जल विद्युत क्षमता				917.5

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का अंश
(सभी आंकड़े मेगावाट में)

सायंकालीन शीर्ष मांग के समय (समय 18.00 बजे एवं 22.00 बजे तक)
(31 दिसम्बर,2013 की स्थिति में)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 X 200 + 3 X 500	2100.00	400.00 (19.05 प्रतिशत)	23.13	52.63	475.76
2	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) स्टेज 3	1 X 500	500.00	62.50 (12.50 प्रतिशत)	12.73	0.00	75.23
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 X 210	1260.00	385.00 (30.56 प्रतिशत)	21.00	32.26	438.26
4.	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 X 500	1000.00	273.00 (27.30 प्रतिशत)	15.78	25.47	314.25
5	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 X 500	1000.00	200.00 (20.00 प्रतिशत)	18.49	25.47	243.96
6	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– IV (मध्यप्रदेश में स्थित)	1 X 500	500.00	128.21 (25.64 प्रतिशत)	12.73	00.00	140.94
7	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – I (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 X 660	1980.00	283.00 (14.29 प्रतिशत)	50.41	00.00	333.41
8	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – II (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2 X 500	1000.00	143.00 (14.30 प्रतिशत)	17.63	25.47	186.10
9	मोदा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	1 X 500	500.00	78.20 (15.64 प्रतिशत)	12.73	00.00	90.93

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
10	काकरापार आणविक पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 X 220	440.00	93.00 (21.14 प्रतिशत)	6.34	11.21	110.54
11	तारापुर आणविक पॉवर स्टेशन, (महाराष्ट्र में स्थित)	2 X 540	1080.00	180.00 (16.67 प्रतिशत)	23.16	27.50	230.66
12	कवास गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 X 106 + 2 X 116.1	656.20	140.00 (21.33 प्रतिशत)	0.00	0.00	140.00
13	गंधार गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 X 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80 प्रतिशत)	0.00	0.00	117.00
	कुल		12673.59	2482.91	214.13	200.00	2897.04

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य को आवंटित अंश	74 मे.वा.
	कुल	74 मे.वा.

II. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2897.04 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
	कुल	2971.04 मे.वा.

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का अंश
(31 दिसम्बर,2013 की स्थिति में)

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

अन्य अवधि में (समय 00.00 से 18.00 बजे एवं 22:00 से 24:00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुन्देलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 X 200 + 3 X 500	2100.00	400.00 (19.05 प्रतिशत)	26.85	52.63	479.48
2	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – स्टेज 3 (छत्तीसगढ़ मेंस्थित)	1 X 500	500.00	62.50 (12.50 प्रतिशत)	14.45	0.00	76.95
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 X 210	1260.00	385.00 (30.56 प्रतिशत)	24.24	32.26	441.50
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 X 500	1000.00	273.00 (27.30 प्रतिशत)	18.24	25.47	316.71
5	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 X 500	1000.00	200.00 (20.00 प्रतिशत)	20.98	25.47	246.45
6	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– Iv (मध्यप्रदेश में स्थित)	1 X 500	500.00	128.21 (25.64 प्रतिशत)	14.45	00.00	142.66
7	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – I (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 X 660	1980.00	283.00 (14.29 प्रतिशत)	57.21	0.00	340.21
8	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन – II (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2 X 500	1000.00	143.00 (14.30 प्रतिशत)	20.01	25.47	188.48
9	मोदा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	1 X 500	500.00	78.20 (15.64 प्रतिशत)	14.45	00.00	92.65

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुन्देलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
10	काकरापार आणविक पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 X 220	440.00	93.00 (21.14 प्रतिशत)	7.19	11.21	111.40
11	तारापुर आणविक पॉवर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2 X 540	1080.00	180.00 (16.67 प्रतिशत)	26.28	27.50	233.78
12	कवास गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 X 106 + 2 X 116.1	656.20	140.00 (21.33 प्रतिशत)	0.00	0.00	140.00
13	गंधार गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 X 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80 प्रतिशत)	0.00	0.00	117.00
	कुल		12673.59	2482.91	244.34	200.00	2927.25

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74 मे.वा.
	कुल	74 मे.वा.

II. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2927.25 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
	कुल	3001.25 मे.वा.

प्रपत्र–6

10वी पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 8 योजनाये

कमांक	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल					
1	अशोकनगर	8409.09	72	746	17498
2	गुना	9774.94	0	1241	15856
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
3	छिंदवाड़ा	7102.19	3	1896	40012
4	दमोह	4706.92	0	1123	63319
5	जबलपुर	6800.43	15	1367	62330
6	सिवनी	7502.18	25	1559	60722
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर					
7	इन्दौर	3008.82	0	625	24428
8	उज्जैन	4996.21	0	1096	26332
	कुल	52300.78	115	9653	310497

11वी पंचवर्षीय योजना में प्रथम चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 24 योजनायें

कमांक	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल					
1	बैतूल	9838.14	0	1249	45513
2	हरदा	3352.54	11	471	15363
3	मुरैना	9455.76	163	612	35444
4	दतिया	2810.20	0	284	14452
5	श्योपुर	2379.54	2	141	10942
6	शिवपुरी	6768.07	4	641	38705
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
7	अनूपपुर	3111.17	3	419	16552
8	बालाघाट	6405.79	0	1196	106350
9	छतरपुर	2860.60	24	512	37034
10	डिण्डौरी	3991.57	0	844	23547
11	कटनी	4842.38	15	849	73191
12	मण्डला	3381.13	17	1152	42250
13	नरसिंहपुर	4829.91	0	1033	61175
14	पन्ना	3330.96	24	848	37448
15	रीवा	10849.64	204	2211	56063
16	सागर	6605.51	71	1779	67594
17	सतना	4493.44	38	1399	43989
18	शहडोल	4656.09	6	555	48537
19	सीधी / सिंगरौली	8786.78	19	1391	77861

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
20	टीकमगढ़	5598.54	0	864	43733
21	उमरिया	2504.23	4	562	27871
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर					
22	धार	9476.79	0	1457	60188
23	झाबुआ	9139.43	14	1242	57360
24	रतलाम	7745.08	0	1051	36199
	कुल	137213.29	619	22762	1077361

11वी पंचवर्षीय योजना में द्वितीय चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 20 योजनायें

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल					
1	भिण्ड	4496.04	5	884	35509
2	भोपाल	2515.39	0	499	15989
3	ग्वालियर	2950.75	0	583	20067
4	होशंगाबाद	4456.88	0	896	28649
5	रायसेन	6318.82	3	1376	29389
6	राजगढ़	8142.60	6	1671	51418
7	सीहोर	4553.71	2	1011	16600
8	विदिशा	7163.31	19	1501	33972
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
9	बालाघाट	2309.24	115	0	3648
10	छतरपुर	3761.72	16	526	30547
11	सतना	2414.48	6	326	8694
12	सीधी	2254.63	5	296	13776
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर					
13	बड़वानी	4162.16	0	647	21975
14	बुरहानपुर	1911.62	1	260	26213
15	देवास	5038.19	0	1055	27156
16	खण्डवा	3349.44	0	510	21568
17	खरगोन	7097.91	6	1169	44471
18	मन्दसौर	4076.23	0	906	20580
19	नीमच	2031.72	0	451	8558
20	शाजापुर	5231.10	0	1068	37935
	कुल	84235.94	184	15635	496714

प्रपत्र–7

विद्युत वितरण कंपनी की क्षेत्रवार वितरण केन्द्रों की संख्या
(दिसम्बर, 2013 की स्थिति)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (350 वितरण केन्द्र)			
I जबलपुर क्षेत्र	**156**	**II सागर क्षेत्र**	**100**
1. जबलपुर (शहर) वृत्त	**5**	**1. सागर वृत्त**	**37**
जबलपुर शहर पूर्व संभाग	1	सागर शहर	1
जबलपुर शहर उत्तर संभाग	1	सागर (संचा/संधा)	12
जबलपुर शहर पश्चिम संभाग	1	रेहली	9
जबलपुर शहर दक्षिण संभाग	1	बीना	7
विजयनगर	1	बण्डा	8
2.जबलपुर (सं./सं.) वृत्त	**16**	**2. दमोह वृत्त**	**16**
जबलपुर (संचा/संधा.)	7	दमोह उत्तर	8
सिहोरा	3	दमोह दक्षिण	8
पाटन	6		
3. कटनी वृत्त	**7**	**3.छतरपुर वृत्त**	**30**
कटनी (शहर)	1	छतरपुर	12
कटनी (संचा/संधा.)	6	पन्ना	8
		खजुराहो	10
4.मण्डला वृत्त	**21**	**4. टीकमगढ़ वृत्त**	**17**
मण्डला	14	टीकमगढ़	9
डिंडौरी	7	पृथ्वीपुर	8
5. सिवनी वृत्त	**35**	**III रीवा क्षेत्र**	**94**
सिवनी	11	**1 रीवा वृत्त**	**20**
लखनादौन	8	रीवा (शहर)	1
बालाघाट	3	रीवा (उत्तर)	8
बैहर	2	रीवा (दक्षिण)	7
वारासिंवनी	11	रीवा (संचा/संधा)	4
6. नरसिंहपुर वृत्त	**19**	**2. सतना वृत्त**	**28**
नरसिंहपुर	11	अमरपाटन	5
गाड़रवारा	8	सतना (शहर)	1
		सतना (संचा/संधा)	12
7. छिंदवाड़ा वृत्त	**53**	मैहर	10
शहर छिंदवाड़ा	2	**3. सीधी वृत्त**	**23**
छिंदवाड़ा पूर्व	11	सीधी	17
जुन्नारदेव	6	बैढ़न (शहर)	1
पाण्डुर्ना	8	बैढ़न (संचा/संधा)	5
अमरवाड़ा	9	**4.शहडोल वृत्त**	**23**
सौसर	10	शहडोल	8
परासिया	7	अनूपपुर	7
		उमरिया	8

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि.
(340 वितरण केन्द्र)

I भोपाल क्षेत्र	181	**II ग्वालियर क्षेत्र**	159
1.भोपाल (सिटी) वृत्त	22	**1. ग्वालियर (सिटी) वृत्त**	18
भोपाल (सिटी पूर्व)	5	ग्वालियर (सिटी उत्तर)	5
भोपाल (सिटी उत्तर)	7	ग्वालियर (सिटी दक्षिण)	3
भोपाल (सिटी दक्षिण)	6	ग्वालियर (सिटी पूर्व)	5
भोपाल (सिटी पश्चिम)	4	ग्वालियर (केन्द्रीय संभाग)	5
2. भोपाल वृत्त	35		
भोपाल (ओ.एण्ड एम.)	11	**2. ग्वालियर वृत्त**	30
मंडीदीप (औद्योगिक क्षेत्र)	1	ग्वालियर (ओ.एंड एम.)	8
रायसेन	8	दतिया	12
बरेली	6	डबरा	9
नसरुल्लागंज	3	मालनपुर वितरण केन्द्र	1
औबेदुल्लागंज	6	**3. गुना वृत्त**	29
		गुना	10
3.. विदिशा वृत्त	13	राघोगढ	8
विदिशा	6	अशोकनगर	7
गंजबासौदा	7	मुंगावली	4
4. सीहोर वृत्त	23	**4. शिवपुरी वृत्त**	23
सीहोर	14	शिवपुरी – I	7
आष्टा	9	शिवपुरी – II	10
		पिछोर	6
5. राजगढ़ (ब्यावरा) वृत्त	24		
राजगढ़	9	**5. मुरैना वृत्त**	25
नरसिंहगढ़	8	मुरैना – I	10
ब्यावरा	7	मुरैना – II	6
		सबलगढ़	9
6. होशंगाबाद वृत्त	34	अम्बाह	–
होशंगाबाद	7		
इटारसी	6	**6. भिण्ड वृत्त**	20
हरदा	10	भिण्ड	6
पिपरिया	11	मेहगांव	4
		लहार	6
7. बैतूल वृत्त	30	गोहद	4
बैतूल (उत्तर)	10		
बैतूल (दक्षिण)	10	**7.श्योपुर वृत्त**	14
मुलताई	10	श्योपुर (उत्तर)	10
		श्योपुर (दक्षिण)	4

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि.
(405 वितरण केन्द्र)

I इन्दौर क्षेत्र	206	II उज्जैन क्षेत्र	189
1 इन्दौर (शहर) वृत्त	23	1 उज्जैन (संचा./संधा.) वृत्त	43
इन्दौर (शहर) पूर्व	6	उज्जैन (शहर) पूर्व	4
इन्दौर (शहर) पश्चिम	4	उज्जैन (शहर) पश्चिम	5
इन्दौर (शहर) उत्तर	5	उज्जैन (संचा./संधा.)	7
इन्दौर (शहर) दक्षिण	4	बडनगर	9
इन्दौर (शहर) मध्य	4	महिदपुर	4
2 इन्दौर (संचा./संधा.) वृत्त	37	नागदा	7
इन्दौर (संचा./संधा.)	12	तराना	7
महू	13	2.देवास (संचा./संधा.) वृत्त	33
देपालपुर	8	देवास (शहर)	4
पीथमपुर	4	देवास (संचा./संधा.)	8
3 धार (संचा./संधा.) वृत्त	34	कन्नौद	6
धार (संचा./संधा.)	15	सोनकच्छ	7
राजगढ	14	बागली	8
मनावर	5	3.शाजापुर (संचा./संधा.) वृत्त	31
4 झाबुआ (संचा./संधा.) वृत्त	20	शाजापुर (संचा./संधा.)	11
झाबुआ (संचा./संधा.)	13	शुजालपुर	11
अलीराजपुर	7	आगर	9
5 खंडवा (संचा./संधा.) वृत्त	15	4.रतलाम (संचा./संधा.) वृत्त	27
खंडवा (शहर)	1	रतलाम (शहर)	1
खंडवा (संचा./संधा.)	14	रतलाम (संचा./संधा.)	11
6 खरगोन (संचा./संधा.) वृत्त	44	जावरा	9
खरगोन (I)	10	आलोट	6
खरगोन (II)	8	5.मंदसौर (संचा./संधा.) वृत्त	40
बडवाह	10	मंदसौर (संचा./संधा.)	11
मण्डलेश्वर	16	सीतामउ	8
7 बुरहानपुर (संचा./संधा.) वृत्त	15	मल्हारगढ	9
बुरहानपुर (शहर)	1	गरोट	12
बुरहानपुर (संचा./संधा.)	14	6. नीमच (संचा./संधा.) वृत्त	25
8 बडवानी (संचा./संधा.) वृत्त	18	नीमच (संचा./संधा.)	7
बडवानी (संचा./संधा.)	9	जावद	9
सेंधवा	9	मनासा	9

शाकेमुभो—885—असऊवि—12-3-14—650.

शाकेमुभो-885-असऊवि भो-12-3-14-6